न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान किरण बनाम सुरज्ञान

मुकदमा संख्या / वर्ष टी0आई0 49 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2 26/3/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मण्डा भोपावास, पटवार हल्का पचार, भ0अ0नि0 व तहसील कालवाड़, जिला जयपुर अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 102 / 1 रकबा 0.0885 है0, खसरा नम्बर 102 / 3, रकबा 0.1897 है0, खसरा नम्बर 103 / 1 रकबा 0.1138 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 2.4408 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.2899 है0, खसरा नम्बर 108 / 2 रकबा 1.1761 है0, खसरा नम्बर 109 / 1 रकबा 6.5002 है0, प्रार्थियागण व अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रार्थिया के दादा की मृत्यु पश्चात् विरासत की भूमि अप्रार्थी (प्रार्थीगण के पिता) के नाम विरासत के नामान्तकरण से प्राप्त हुई है। जिस पर अप्रार्थीया अपने माता के साथ काबिज काश्त होकर, उपयोग–उपभोग करती आ रही है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बेचान कर, खुर्द–बुर्द कर अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधिवक्ता उभयपक्ष की की बहस सुनी गई।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

26/3/25

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ पेश किया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है, जो अप्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। चूंकि पैतृक भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला वाद इस कदर पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि ग्राम मण्डा भोपावास, पटवार हल्का पचार, भ0अ0नि0 व तहसील कालवाड़, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 103/1 रकबा 0.1138 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 2.4408 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.2899 है0, खसरा नम्बर 108/2 रकबा 1.1761 है0, खसरा नम्बर 109/1 रकबा 6.5002 है0 व खसरा नम्बर 100 रकबा 2.3649 है0 में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कुल भूमि में से हिस्सा 1/4 से अधिक हिस्से को किसी प्रकार से Alienate नहीं करे, बेचान एवं हस्तानान्तरण नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम